प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 1141/2007

अपीलकर्तागण: - श्रीमती अहिल्या मंडावी एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यार्थीगण: - बिजित कुंडु एवं अन्य

विचारार्थ हेतु अधिनिर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित /–

न्यायाधीश

01/09/2011

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश

मैं सहमत हूं

हस्ताक्षरित /–

मुख्य न्यायाधीश

घोषणा हेतु दिनांक 02/09/2011 को सूचीबद्ध करे।

हस्ताक्षरित/–

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

02/09/2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 1141 / 2007

अपीलकर्तागण

1. श्रीमती अहिल्या मंडावी, पति स्व. नरसिंह मंडावी,आयु लगभग 42 वर्ष,

दावाकर्तागण

2. प्रदीप कुमार मंडावी ,पिता नरसिंह मंडावी, आयु लगभग 20 वर्ष,

3. कु. ललिता मंडावी, पिता नरसिंह मंडावी, आयु लगभग 17 वर्ष,

4. मुकेश कुमार मंडावी, पिता नरसिंह मंडावी, आयु लगभग 15 वर्ष,

5. कु. सुषमा मंडावी, पिता नरसिंह मंडावी, आयु लगभग 13 वर्ष,

(क्रमांक 3 से 5 तक, अवयस्क द्वारा विधिक अभिभावक माता श्रीमती अहिल्या मंडावी सभी निवासी – ग्राम चिरमरा, तहसील भानुप्रतापपुर, उत्तर बस्तर कांकेर।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रत्यार्थीगण</u> : - 1. बिजित कुंडु, पिता बी.के. कुंडु, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी –

पुराना बाज़ार,पखांजूर, तहसील पखांजूर, जिला उत्तर बस्तर

कांकेर (छ.ग.) (ड्राइवर एवं वाहन स्वामी)

2. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, संभागीय कार्यालय बी.आर.-

11, आर.डी.ए. बिल्डिंग, बजरंग मार्केट, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(बीमा कंपनी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>(मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत अपील)</u>

<u>(युगलपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं</u>

<u>माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश)</u>

<u>उपस्थित :</u> **श्री विष्णु कोष्टा, अधिवक्ता – अपीलकर्ताओं की ओर से**

श्री राज अवस्थी, अधिवक्ता – प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से

<u>अधिनिर्णय</u>

(दिनांक 02/09/2011 को पारित)

माननीय एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. यह अपील दावा–कर्त्ताओं द्वारा दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर (संक्षेप में 'अधिकरण) द्वारा प्रदत्त दावा प्रकरण क्रमांक 30/07 में दिनांक 29.06.2007 को पारित अधिनिर्णय क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि किए जाने का आग्रह किया गया है। \

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मृतक नरसिंह मंडावी की दुर्भाग्यशाली विधवा और बच्चों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'एमवी अधिनियम') की धारा 166 के तहत आवेदन दायर करके मोटर दुर्घटना में मृतक की मृत्यु के लिए 33,77,620/- रुपये के मुआवजे का दावा किया गया था, जिसके विरुद्ध न्यायाधिकरण ने आवेदन की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल 9,58,496/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

3. अधिकरण ने प्रस्तुत साक्ष्य की गहन जांच के बाद यह माना कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मार्शल जीप, पंजीकरण क्रमांक सीजी-17-डी-0052 के चालक के उतावलेपन एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी, जिसने पंजीकरण क्रमांक सीजी-06-8816 वाली मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी; उक्त दुर्घटना में लगी चोटों के कारण नरसिंह मंडावी की मृत्यु हो गई थी; बीमा कंपनी मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन को सिद्ध नहीं कर सकी; अधिकरण ने दावेदारों को दुर्घटना की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से

ब्याज सहित उपरोक्त मुआवजे की राशि का आकलन किया और क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए प्रत्यर्थीगण को संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से उत्तरदायी मानते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान किया।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने मृतक नरसिंह मंडावी के 9024 रुपए प्रतिमाह के वेतन को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि की गणना करने में त्रुटि की है, तथा मुआवजे की कम राशि प्रदान की है।

5.दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2/न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राज अवस्थी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तर्क लोप्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा दिया गया मुआवजा उचित एवं न्यायसंगत है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6.हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है, आक्षेपित निर्णय और अधिकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. अधिकरण ने मृतक नरसिंह मंडावी का सकल वेतन 11,024 रुपए आकलित किया; मृतक के वेतन से उसके द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान के लिए 2000 रुपए की वसूली की कटौती करने के बाद; घर ले जाने वाले वेतन को 9024 रुपए प्रति माह अर्थात 1,08,288 रुपए प्रति वर्ष आकलित किया; मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इसका 1/3 हिस्सा घटाने के बाद, दावेदार की वार्षिक निर्भरता 72,192/- रुपए आकलित की; दुर्घटना के समय मृतक की आयु 47 वर्ष को देखते हुए 13 का गुणक चुना गया। दावेदार की वार्षिक निर्भरता 72,192 रुपए को 13 के गुणक से गुणा करने के बाद, मुआवजे की राशि 9,38,496

रुपए आंकी गई। अधिकरण ने आगे अन्य शीर्षों पर 20,000 रुपए का अधिनिर्णय दिया और इस प्रकार कुल 9,58,496/- रुपए की राशि अधिनिर्णित की। अधिकरण ने आवेदन की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी निर्देश दिया।

8.कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देय राशि की गणना के लिए मृतक के वेतन से जीपीएफ, जीआईएस, एचआरए, पारिवारिक पेंशन और ऋण वसूली की राशि की कटौती नहीं की जा सकती। जिसके अनुसार अपीलकर्ताओं/दावा–कर्त्ताओं के भरण-पोषण करने वाले कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर देय क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जानी होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव एवं अन्य, 2008 (2) एससीसी 763 के निर्णय के कंडिका 15 एवं 19 में निम्न प्रकार कहा है:

> “15. एस. नारायणम्मा बनाम सचिव भारत सरकार, दूरसंचार मंत्रालय के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया था: (एपीएलजे पृ. 478-79, कंडिका 13)
>
> “13. इस पृष्ठभूमि में, अब हम यह परीक्षण करेंगे कि अधिकरण द्वारा मृतक के वेतन से किस प्रकार की कटौतियाँ करके उसके मासिक पारिवारिक योगदान का निर्धारण किया गया। अधिकरण ने मृतक

के वेतन से कटौती करते समय न्यूनतम सावधानी भी नहीं बरती, विशेषकर जब कटौतियों के स्वरूप पर विचार आवश्यक था। मेरा मत यह है कि आवास ऋण, वाहन ऋण, त्यौहार हेतु अग्रिम तथा अन्य ऐसी कटौतियाँ, यदि कोई हों, जो मृतक की संपदा के लाभ के लिए की जाती थीं, उन्हें मृतक की शुद्ध मासिक आय निर्धारित करते समय घटाया नहीं जा सकता। ये अग्रिम और ऋण, वेतन का ही हिस्सा होते हैं हिस्सा होते हैं। जहाँ तक मकान किराया भत्ता (HRA) का प्रश्न है, यह मृतक के जीवनकाल में पूरे परिवार के लिए लाभकारी होता है; और यदि मृतक की अकाल मृत्यु हो जाती हैं तब दावेदार ऐस लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं जिसका लाभ वे मृतक के जीवित रहते हुए प्राप्त करते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" दूसरी ओर, मृतक की शुद्ध आय की गणना करते समय उसके व्यवसाय के कारण उसे मिलने वाले यात्रा भत्ता, समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए भत्ता, टेलीफोन, नौकर, क्लब शुल्क, कार रखरखाव आदि जैसे भत्तों को वेतन में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकरण का यह निष्कर्ष कि मृतक को हर महीने 1401 रुपये की शुद्ध आय मिल रही थी, स्थिर रखें जाने योग्य नहीं है क्योंकि मृतक की मासिक आय तय करते समय वाहन ऋण और अन्य कटौतियों पर भी विचार किया गया था। अधिकरण का उपरोक्त निष्कर्ष हेलेन मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

प्रतिपादित 'उचित मुआवजे' के सिद्धांत के विपरीत है। कॉनकॉर्ड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम निर्मला देवी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राशि का निर्धारण उदारतापूर्वक होना चाहिए, कंजूसी से नहीं, क्योंकि एक स्वतंत्र देश में कानून जीवन को उदारतापूर्वक महत्व देता है।

"19. अतः वे राशि/राशियाँ, जो मृतक को उसके नियोक्ता द्वारा सुविधाओं (perks) के रूप में दी जाती थीं, उन्हें उसकी मासिक आय की गणना में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे वास्तव में परिवार के प्रति उसके मासिक योगदान में वृद्धि करतीं; इसके विपरीत वे राशि/राशियाँ जो केवल उसके निजी लाभ हेतु थीं, उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हम यह भी स्पष्ट कर दें कि उक्त आय में से देय विधिक कर (statutory tax) की राशि अवश्य घटाई जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10."सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अधिकरण ने मृतक की मासिक आय को ₹9024/- (अर्थात् ₹1,08,288/-प्रतिवर्ष) आंकने में त्रुटि कारित किया था। "क्षतिपूर्ति की गणना के उद्देश्य से, हम मुआवज़े की राशि का पुनः निर्धारण करने का प्रस्ताव रखते हैं।

11. हमने मृतक के आयकर रिटर्न (प्रदर्श पी /9) तथा कुल आय की गणना-पत्र (प्रदर्श पी/10) का अवलोकन किया है। प्रदर्श पी /9 एवं पी/10 के अनुसार मृतक नरसिंह मंडावी का सकल वेतन ₹1,47,762/- था तथा आयकर एवं व्यवसाय कर देय क्रमशः ₹6,119/- और ₹1,560/- थे।

12. विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, मृतक के सकल वेतन से कर की राशि को क्षतिपूर्ति की गणना हेतु घटाया जाना आवश्यक है। मृतक के सकल वार्षिक वेतन से कुल ₹7,679/- (6119 + 1560) अर्थात कर घटाने के बाद, क्षतिपूर्ति की गणना हेतु मृतक की वार्षिक आय ₹1,40,083/- होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए सामान्यतः 1,40,083/- रुपये का एक-तिहाई घटाने के बाद, दावेदार की वार्षिक आश्रितता 93,389/- रुपये होती है। दावेदार की वार्षिक आश्रितता की उपरोक्त राशि को अधिकरण द्वारा लागू 13 के गुणक से गुणा करने पर, अपीलकर्ता/दावेदार 12,14,057/- रुपये के मुआवजे के हकदार होंगे। दावेदार/अपीलकर्ता अन्य मदों पर 15,000/- रुपये (अंतिम संस्कार व्यय,सहचर्य की हानि और संपदा की हानि के लिए 5000/- रुपये) के भी हकदार हैं, और इस प्रकार दावेदार अधिकरण द्वारा निर्धारित 9,58,496/- रुपये के बजाय कुल 12,29,057/- रुपये के मुआवजे के हकदार हैं।

14. उपरोक्त कारणों से, मुआवजे में वृद्धि के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।"अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹9,58,496/- की क्षतिपूर्ति को बढ़ाकर ₹12,29,057/- किया जाता है। बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि ₹2,70,561/- पर आवेदन की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज देय होगा। अधिनिर्णय की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। अधिनिर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

15. बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि उसे बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि ₹2,70,561/- ब्याज सहित संबंधित दावों अधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर

मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर

एन. के. अग्रवाल,

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ms Mamta Gupta Adv